12 56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निग0 932–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.12 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.) प्रकरण कमांक 6/अ–13/2011–12.

1– राकेश पिता सुखराम जाति बलाई
2– रामचन्द्र पिता गणपत जाति बलाई
निवासीगण ग्राम मद्दूखेड़ी तह. टोंकखुर्द
जिला देवास म.प्र.

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1– दौलत पिता मांगीलाल
2– मुंशी पिता दाउद
3– युसुफ पिता दाउद
4– लियाकत पिता अब्बास
5– इकबाल पिता अब्बास
6– इम्तियाज पिता अब्बास
7– आशाबाई विधवा अब्बास
8– अल्लारखां पिता बापू
9– तेजमोहम्मद पिता बापू
10– शौकतअली पिता बापू
11– कमाल पिता बापू
12– केशर पिता बापू
13– अकबर पिता भूरा
14– पीरबक्ष पिता मागीलाल
15– सिकन्दर पिता इदा जी
16– मुबारिक पिता इदाजी
17– नूर मो. पिता धन्ना जी
18– मांगीलाल पिता भूराजी

19– बाबूखां पिता धन्नाजी
समस्त जाति नायता
निवासीगण ग्राम मद्दूखेड़ी तहसील टोंकखुर्द
जिला देवास म.प्र.

—— अनावेदकगण

श्री अखलाक कुरैशी, अधिवक्ता, आवेदकगण ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/9/14 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास के प्रकरण कमांक 6/अ–13/2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–12–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदक कमांक 1 राकेश पिता सुखराम को दीवाल हटाने एवं कुल रास्ते की चौड़ाई मिलाकर 12 फीट चौड़ा रास्ता वर्तमान में आवागमन हेतु खोलने के आदेश दिए हैं साथ ही यह आदेश भी दिये हैं कि यदि रास्ता नहीं खोला जाता है तो राजस्व निरीक्षक पुलिस बल की सहायता से रास्ता खुलवायें ।

2– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हें कि अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवेदक क. 1 की भूमि सर्वे नं. 170/1 और 171/1 में रूढीगत रास्ता होना नहीं बताया था । अनावेदकगण असत्य आधारों पर आवेदक के मकान को तुड़वाना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकों का रास्ता आवदक की निजी भूमि में होना मान्य करने में त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदकगण की आवासीय भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि सर्वे नं. 172 व 174 है जिस पर अनावेदक कमांक 1 लायत 20 तारफेंसिग किए हैं यह तथ्य स्थल निरीक्षण के समय अधीनस्थ न्यायालय ने पाया था परंतु उनका अतिक्रमण नहीं हटाने हुए वहां वृक्ष होना व रास्ते के चिन्ह नहीं होना मानकर आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर आवेदक कमांक 1 का निर्माण हटाकर उन्हें रास्ता देने के आदेश देने में त्रुटि की है ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तकों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशं का परिशीलन किया । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । रास्ते के विवाद को अंतरिम आदेश तहसीलदार द्वारा प्रमाणित पक्ष को अन्य वैकल्पिक मार्ग के न होने पर तात्कालिक सहायता के रूप में रास्ता उपलब्ध कराने हेतु दिया जाता है । न्यायदृष्टांत 2002 आर.एन. 113 में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार की खड़ी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना की स्थित में प्रकरण के अंतिम निपटारा तक अनुकल्पी रास्ते के प्रयोग हेतु अंतरिम आदेश दिया जाना चाहिए । इस प्रकरण में भी यही स्थिति पाई गई ।

अंतरिम आदेश पारित करने के पूर्व इस प्रकरण में तहसीलदार ने उभयपक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम व्यवस्था के आदेश दिए है । अंतरिम व्यवस्था केवल तात्कालिक राहत हेतु होती है । इस stage पर विस्तृत evidence लेना एवं उसका विश्लेषण आवश्यक नहीं होता है । आवेदक के निगरानी में जो भी बिंदु उठाये गये हैं उनका विश्लेषण आवश्यक नहीं होता है । प्रकरण में अंतिम आदेश अभी होना है जहां आवेदक अपना पक्ष / साक्ष्य / तथ्य प्रस्तुत कर सकता है । इस stage पर इस निगरानी को स्वीकार कर तहसीलदार के अंतरिम आदेश को निरस्त करने के पर्याप्त कारण तथा औचित्य नहीं हैं । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल,)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर